


INDIA GLYCOLS LIMITED

Regd Off:- A-1, Industrial Area, Bazpur Road, Kashipur - 244713, Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand.
 Phone: +91 5947 269000/269500/275320, Fax: 91 5947 275315/269535,
 E-mail: compliance.officer@indiaglycols.com Website: www.Indiaglycols.com
 CIN: L24111UR1983PLC009097

NOTICE TO MEMBERS
**For Transfer of Equity Shares of the Company to Investor
 Education and Protection Fund (IEPF)**

Members of the Company are hereby informed that pursuant to the applicable provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 including any statutory modifications or re-enactment thereof, for the time being in force ("the Rules"), the Company is required to transfer the shares for which dividend remains unpaid or unclaimed for 7 (seven) consecutive years or more, to the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPF Authority) in the prescribed manner.

In compliance with the said Rules, the Company has communicated to the concerned shareholders individually at their latest available addresses whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority during the FY 2018-19 for taking appropriate actions. Full details of such shareholders including their names, folio numbers and/or DP ID - Client ID and the number of shares due for transfer to IEPF Authority has been uploaded on Company's website www.Indiaglycols.com (web-link: http://www.Indiaglycols.com/investors/investor_index.htm). Shareholders are requested to verify the details of the shares liable to be transferred to IEPF Authority.

Members who have not claimed their dividends for the year 2010-11 and onwards are requested to claim the unclaimed dividend on or before 22nd October 2018. In case, the Company does not receive any communication from the concerned shareholders on or before the above date or such other date as may be extended, the Company shall with a view to adhering with the requirements of the Rules, where the shares are held on physical form, proceed to issue new share certificate(s) in lieu of the Original share certificate(s) held by them for the purpose for dematerializing and transfer such shares to IEPF Authority, without giving any further Notice. Upon such issue, the Original share certificate(s) which are registered in their name shall stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. Such shareholders may also note that the details as uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of new share certificate(s). In case the share are held in Demat form, the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer of shares lying in the concerned demat account in favour of IEPF authority.

No claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend(s) and shares transferred to IEPF pursuant to the said Rules. However, the concerned shareholders can claim back the unclaimed dividend(s) transferred to IEPF and the shares transferred to the IEPF Authority including all benefits, if any, accruing on such shares, from IEPF Authority in accordance with the procedure and on submission of such documents as prescribed under the Rules. Shareholders can also refer to the details available on www.iepf.gov.in. For further information/clarification on the above matter, shareholders can write to the Company Secretary at its Head office at Plot no. 2B, Sector-126, Noida-201304, District Gautam Budh Nagar, U.P. (e-mail: compliance.officer@indiaglycols.com) or to the Company's Registrar and Share Transfer Agent, M/s MCS Share Transfer Agent Limited, F-65, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi- 110020 (e-mail: admin@mcsregistrars.com).

For India Glycols Limited

Sd/-

Ankur Jain

Company Secretary

Place: Noida

Date : 19 July, 2018

पा सांसद की शरी गिरफ्तार

गंगा का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ चौकियां अलर्ट

ग्रामीणों ने भागीरथी उद्गा का विश

सेवाओं के अधिकारी शामिल हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और जॉब अधिकारी सुरजीत सिंह पनेरकर ने बताया कि तेजपुर से भूजपा सांसद आरपी शर्मा की बेटी पल्लवी शर्मा एपीएस अधिकारी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है।

हरिद्वार। राज्य के उपरी हिस्सों में पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश होने के कारण हरिद्वार में गंगा से सटी सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। गंगा के तटीय गांवों में सर्तकता बरतते हुए पथरी पुलिस ने धार्मिक स्थानों पर लगे लाउडस्पीकर के जरिए ग्रामीणों को गंगा में न जाने की सलाह दी।



भारतीय ग्लाईकोल्स लिमिटेड

बेल्गीयम कार्यालय: P-1, रॉयल ट्रायल पॉइंट, ब्रुसेल्स रोड, ब्रुसेल्स-244718, बिना उभय गैस कार, 96357000
 संपर्क: +31 6947 269000 / 269000 / 2176920; फ़ैक्स: 8126547 270516 / 2690335
 ई-मेल: compliance.office@indaglycols.com वेबसाइट: www.indaglycols.com
 सीआरएन: L24111UR1803PLC000987

सदस्यों के लिए सूचना

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि (आईबीएसएल) में कंपनी के इंडिटी शेयरों का अंतरण कंपनी के सदस्यों को एक्टिवेट कर दिया जाता है कि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वारंटी) निम्न, 2018 के साथ प्रतिष्ठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124(6) के तहत प्राधिकृत अधिकृत चर्चात्मक में उस पर जाऊँगे कोई सांख्यिक संशोधन या पुनः अधिनियम ("अधिनियम") के अनुसरण में, कंपनी को निवारण प्रक्रिया का पालन करते हुए निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि प्राधिकरण (आईबीएसएल) में ऐसे शेयरों को अंतरित करना अनिवार्य है किनके द्वारा न पिंखर 7 (सात) या अधिक बर्षों सांगंगा संरक्षण या अक्षयकृत है।

अधिनियम के अनुपालन में, कंपनी ने ऐसे शेयरधारकों को अधिनियम के लिए आईबीएसएल प्राधिकरण को अंतरित किंग जाने के पात्र है। शेयरधारकों का नाम, अंशों/या डीपी आईडी - बसनेट आईडी तथा आईबीएसएल प्राधिकरण को अंतरित किंग जाने वाले शेयरों की संख्या के साथ ऐसे शेयरधारकों का पूरा विवरण कंपनी की वेबसाइट www.indaglycols.com (वैब साइट <http://www.indaglycols.com/transact/transfer/index.htm>) पर अपलोड किया गया है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि आईबीएसएल प्राधिकरण को अंतरित किंग जाने वाले शेयरों के विवरणों की जांच करें।

संरक्षण निधि-नवंबर 2010-11 और अगले बर्षों के अपने सांगंगा का मास नवी किया है। अगले अनुबंध है कि में 22 अक्टूबर, 2018 तक या उससे पूर्व आपाकाल लागू का दावा कर दें। यदि कंपनी को उपरोक्त विधि तक या इसके विपरीत की जाने वाली कंपनी विधि तक संश्लित शेयरधारकों के कोई सांगंगा प्राप्त नहीं होती है तो कंपनी नियमों में निर्धारित अनुसंधान का ब्याज प्राप्त करने हुए ऐसे शेयरों को आईबीएसएल प्राधिकरण को अंतरित किंग कराए और अंतरित करने के प्रयत्न हेतु नैतिक प्राश्न में व्यक्ति शेयरों के मास में मूल शेयर प्रमाणपत्रों के स्थान पर नये शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और ऐसे शेयरों के मास मूल शेयर प्रमाणपत्र को उनके नाम पर रजिस्ट्रार के पास को निरस्त करे जागे और फिर-निर्देश मांगे जागे। शेयरधारक का दावा करें ही स्थान है कि कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किंग हुए विवरणों की भी नये शेयर प्रमाणपत्र (सी) जारी करने के संबंध में व्यक्ति सूचना मांगे जागे। प्राधिकरण के साथ कंपनी का ब्याज प्राप्त करने के लिए प्रमाणपत्र पर ही कंपनी आईबीएसएल प्राधिकरण के वेबसाइट पर नये शेयरों के अंतरण के लिए एडिटर प्रक्रिया के मास में संबंधित विवरणों की सुविधा करेगी।

अधिनियम के अनुपालन में आईबीएसएल प्राधिकरण को अंतरित किंग ऐसे अग्रिमपूरा लागू का और शेयरों के संबंध में कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं किया जा करेगा। यद्यपि, संबंधित शेयरधारक आईबीएसएल को अंतरित अग्रिमपूरा लागू का (सी) और आईबीएसएल प्राधिकरण को अंतरित शेयरों का प्रतिशत ऐसे शेयरों पर निम्न बातें लागू, यदि कोई है, के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन और निम्न के अनुसार निर्धारित दस्तावेज जमा करने के बाद आईबीएसएल प्राधिकरण के साथ कंपनी का ब्याज प्राप्त करने के लिए प्रमाणपत्र पर ही कंपनी आईबीएसएल प्राधिकरण के लिए शेयरधारक कंपनी के प्रदान कर्मात्मक स्थापित में, 2018, संपर्क-128, कोलकाता-201301, बिना मूलतः बुद्ध धर, चार प्रदेस (ई-मेल: compliance.office@indaglycols.com) में कंपनी संबंधित ब्याज कंपनी के वेबसाइट पर शेयर प्रमाणपत्र, नैतिक प्रमाणपत्र शेयर प्रमाणपत्र एडिटर लिस्टिंग, एच.-85, प्रयाग बल, कोलकाता इंटरनेट प्रिया, फ़ैस-1, नई दिल्ली-110020 (ई-मेल: admin@nse.com) को लिख सकते हैं।

भारतीय ग्लाईकोल्स लिमिटेड
 हस्ता./-
 अक्षय धर्मा
 कंपनी अधिकारी
 संख्या : सीएस
 दिनांक : 18 अगस्त 2018

बाद ल किया। देवा दी गयी और पानी समलेत से बाहर निकालने में जु मैदान होने उसके लिए सैन्य ग्रेड के बोर्स इस्तेमाल किया।

पर दुष्कर्म का मुकद

पति पर हत्याला कराने का मामला दर्ज कराया है। सिंह ने बताया कि 28 नूर के अलावा पति, देवर तथा अदासा है। सोमवार को आला गेद इस्ताम से खारिज करने वा बना बख घटनाक्रम हुआ। वरिष्ठ के साथ मिलने पहुंची। उनक संवादशेस दिया। पुलिस ने मंगल को सैन, देवर जमौल हुसैन तथा कोर्यों पर देहजे उठवीडन, मारपीट लेलीओं में मामला दर्ज किया है। पाकिहा ससुर से करा दिया गया। उर्फ फिर तलाक दे दी। ससुर के अर्ना निकाह कराया गया।

फाल

खर्च भी होगा। सरकारी कामों से शुभ समाचार मिल सकते हैं। नौकरपेशा लोगों के लिए सन्नति का योग है। सरकारी लाभ करना पड़ सकता है। स्मृति का अध होने में तिलक से मुक्तता है। विरोध

बेटी की सूचना
 मैंने अपने शादीवादा पुत्र चन्द्रप्रकाश को, उसके गलत संगत में पंड जाने, आप दिन शराब पीकर मुझसे व मेरे परिवार जनों के साथ बदसलूकी, मारपीट व लड़ाई झगडा करने उसकी पत्नी श्रीमती दिव्या देवी झा भी मेरे व मेरे परिवार को आवे दिन का व परेशान करने के चलते पर का माहौल अशान्तपूर्ण बनाने जैसी हरकतों से परेशान होकर दोनों को उनके परिवार सहित अपने अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है। उपरोक्त चन्द्रप्रकाश व दिव्या देवी के साथ किसी भी प्रकार का लेनदेन अथवा सम्बन्ध सरोकार रखने वाला स्वयं जिम्मेदार रहेगा। उनके भले-बुरे कृत्यों, व्यवहार व लेन देन की जिम्मेदारी मेरे एवं मेरे परिवार की नहीं होगी। मोतीराम पुत्र स्व. श्री मोहन राम, निवासी बिन्दुखुता तिवारी नगर, नं.1 गधता, पो. च तहसील लालकुआं, जिला- नैनीताल दिनांक 19-7-2018

शान लि.